ओउजि ग्रुप - आपूर्ति श्रृंखला की संधारणीयता संबंधी दिशानिर्देश

1 अप्रैल 2007 को स्थापित
1 अक्टूबर 2012 को संशोधित
1 दिसंबर 2018 को संशोधित
26 फरवरी 2024 को संशोधित
16 जुलाई 2026 को संशोधित

मूलभूत दृष्टिकोण

ओउजि ग्रुप ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को अपनी कार्यप्रणाली से अवगत कराने तथा निम्नलिखित बिंदुओं को समझने और उनका पालन करने का अनुरोध करने के हेतु से अपना "आपूर्ति श्रृंखला की संधारणीयता संबंधी दिशानिर्देश" स्थापित किया है। यह दिशानिर्देश संयुक्त राष्ट्र के "व्यापार और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों (UNGPs)", "बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर OECD दिशानिर्देशों", और "कार्यस्थल में मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर ILO के घोषणापत्र" सहित अन्य मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार कॉर्पोरेट आचरण को बढ़ावा देना है।

यह दिशानिर्देश आपूर्ति श्रृंखला में ओउजि ग्रुप की मानवाधिकार नीति और ओउजि ग्रुप के भ्रष्टाचार-विरोधी घोषणापत्र की भावना को व्यवहार में लाने तथा हमारे आपूर्तिकर्ताओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

ओउजि ग्रुप इस दिशानिर्देश का अनुपालन आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने व्यापार की शर्तों और नियमों का एक अभिन्न अंग मानता है और ओउजि ग्रुप इसके अनुपालन की पुष्टि करेगा। यदि इस दिशानिर्देश का कोई गंभीर उल्लंघन पाया जाता है, तो हम अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और उनसे सुधारात्मक कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखता है, तो हम अपने व्यावसायिक संबंधों की समीक्षा करेंगे, जिसमें खरीद को निलंबित करना भी शामिल है।

हमारे आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध

ओउजि ग्रुप अपने आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध करता है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करें और इनके कार्यान्वयन के लिए ओउजि ग्रुप उनके साथ मिलकर काम करेगा।

हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसी तरह के पहलुओं को ध्यान में रखेंगे।

(1) कानूनों, विनियमों और सामाजिक मानदंडों का अनुपालन, निष्पक्ष व्यापार और भ्रष्टाचार की रोकथाम

जिन देशों और क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, वहां के लागू कानूनों, नियमों और सामाजिक मानदंडों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय संचालित करें।

1. संबंधित कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुपालन
2. निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार-विरोधी व्यापक उपाय करना (जिसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक प्रथाओं पर प्रतिबंध शामिल है)
3. जहां अपने या किसी तीसरे पक्ष के निजी हित व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, वहां हितों के टकराव से बचना
4. उत्पादों, सेवाओं आदि की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करना

(2) पर्यावरण का ध्यान रखना

अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में स्थानीय समुदायों तथा जैव विविधता, प्राकृतिक संपदा, जलवायु परिवर्तन, संसाधन पुनर्चक्रण, पर्यावरणीय प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर पड़ने वाले प्रभावों का उचित ध्यान रखकर अपना व्यवसाय

संचालित करें।

1. पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण
2. जैव विविधता का संरक्षण
3. वन-क्षय या भूमि-उपयोग परिवर्तन के बिना कच्चे माल की खरीद (अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2020)
4. उच्च संरक्षण मूल्य (HCV) क्षेत्रों, उच्च कार्बन भंडार (HCS) वनों और पीटभूमियों का संरक्षण
5. जल संसाधनों का संरक्षण
6. जलवायु परिवर्तन पर अनुक्रिया
7. अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना
8. पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना
9. रासायनिक पदार्थों का प्रबंधन

(3) मानवाधिकारों और श्रम प्रथाओं का सम्मान

अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें और एक सुरक्षित तथा आरामदायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करें।

1. मानवाधिकारों का सम्मान और अमानवीय व्यवहार पर रोक, जिसमें भेदभाव, उत्पीड़न के विभिन्न रूप और शारीरिक दंड सहित दुर्व्यवहार शामिल हैं
2. कर्मचारियों द्वारा जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ, न्यूनतम कार्य आयु से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक
3. लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार में भेदभाव का निषेध
4. कानूनी न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी की गारंटी
5. कर्मचारियों के संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का सम्मान
6. कार्य घंटों की निर्धारित कानूनी सीमाओं का पालन और अत्यधिक कार्य घंटों पर रोक
7. कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना
8. आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

(4) समाज के साथ संवाद

अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध में स्थानीय समुदाय के साथ संवाद बनाए रखें।

1. हितधारकों की सहभागिता के माध्यम से विश्वास का निर्माण
2. स्थानीय समुदाय और समाज में योगदान
3. जिन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, उनकी संस्कृति और रीति-रिवाजों का सम्मान, तथा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPLCs) के अधिकारों की मान्यता और सम्मान। (जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं, वहाँ उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) का सम्मान करना।)
4. जानकारी का उचित प्रकटीकरण और संरक्षण

*यह दिशानिर्देश ओउजि ग्रुप द्वारा प्राप्त किए गए सभी कच्चे माल पर लागू होता है। लकड़ी के कच्चे माल के संबंध में हमने "लकड़ी के कच्चे माल की खरीद के लिए दिशानिर्देश" अलग से स्थापित किए हैं।

*"अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2020" का अर्थ है कि हम उस तिथि के बाद वनों की कटाई या भूमि-उपयोग परिवर्तन वाले क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे माल की खरीद नहीं करेंगे।

*पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संधारणीय खरीद को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए, हम नियमित रूप से अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस दिशानिर्देश के अनुपालन और पर्यावरणीय तथा सामाजिक पहलुओं के संबंध में उनके प्रदर्शन की निगरानी करेंगे।
*यदि हमारे समूह के साथ लेन-देन के संबंध में कानूनों या विनियमों के उल्लंघन, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार, या हितों के टकराव का कोई जोखिम होता है, तो हम अपने आपूर्तिकर्ताओं से ऐसी परिस्थितियों का उचित रूप से खुलासा करने और उचित कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं।
*इस दिशानिर्देश के आधार पर निगरानी के परिणाम और वार्षिक प्रगति को एकीकृत रिपोर्ट, संधारणीयता रिपोर्ट, ESG डेटा आदि के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा।
*हमारा ग्रुप संयुक्त राष्ट्र के "व्यापार और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों (UNGPs)" के अनुरूप एक गैर-न्यायिक शिकायत निवारण मंच से जुड़ा हुआ है। यह मंच सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है, जिनमें कर्मचारी, आपूर्ति श्रृंखला भागीदार, स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोग शामिल हैं, और हमने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की है जो ओउजि ग्रुप की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल मानवाधिकार या पर्यावरणीय प्रभावों के लिए निवारण का मार्ग प्रदान करती है और उचित कार्रवाई करती है।